प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरदोई।

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (एम0एण्डई0)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–मुचिअ / एमएण्डई / 3062 / 2017–18 / 7137 दिनांक 27/2/2018

विशयः– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी सहयोगत्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किराये के वाहनो के सबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक, एनएचएम, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–11838–75, दिनांक 15.02.18 के अनुपालन में जनपद मे सहयोगत्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किराये के वाहनो की सूचना तथा अनुबन्ध पत्रों की प्रति आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरदोई।

पत्रांक व दिनाँक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एनएचएम, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरदोई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरदोई।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई।

ख्या–आरसीएच/मानीटरिंग/2017–18/ 848 दिनाँक 23/02/2018

वा प्रदाता सहयोगात्मक पर्यवेक्षण वाहन,
लग्न सूची के अनुसार, जनपद हरदोई।

शय:– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे वाहन व्यवस्था के सबंध में।**

उपरोक्त विषयक आपके तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** के अर्न्तगत वाहन उपलब्ध कराने के अनुबन्ध के क्रम में निम्न निर्देशो के साथ आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सलग्न सूची के अनुसार सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र, जनपद हरदोई पर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा धिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र **सबंधित ईकाई प्रभारी** हरदोई को अंकित वाहन सहित प्रस्तुत होकर उनके निर्देशन में नियमानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

1. वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–
   - वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
   - वाहन में पैट्रोल/डीजल आप द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व आपकी काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि आप द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव आपद्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में आपको अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। आप द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. जमानत राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0–25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी, अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा आपको वापस करनी होगी।

3. आप वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

4. वाहन चालक की व्यवस्था आप द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। आपद्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये आप यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–7550–2, दिनाँक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/आपको निविदा में प्रस्तुत धनराशि **सूची में अंकित का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर आप द्वारा देय होगें। यदि आप द्वारा अनुबन्ध की शर्ते पूर्ण नही की जाती है, तो भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु आप स्वंय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था आपको करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व आपका होगा।
7. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व आपका होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
8. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।
9. आप द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
10. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. आप द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह आपसे इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में आपको पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

संलग्नक-यथोक्त।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरदोई।

पृष्ठांकन व दिनाँक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सबंधित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र, हरदोई को इस निर्देश के साथ कि आप मिशन निदेशक, एनआरएचएम, उ0प्र0 के समय समय पर प्रेषित पत्र के अनुपालन में वाहन का उपयोग कराना सुनिश्चित करें। समय-समय पर वाहन सबंधी अभिलेखो का अवलोकन करने के उपरान्त वाहन के भुगतान के पूर्व समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये एवं प्रति माह भ्रमण सबंधी समस्त सूचनायें जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, हरदोई को उपलब्ध करा दी जायें।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, हरदोई।
3. अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0, हरदोई।
4. जिलाधिकारी, हरदोई।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरदोई।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत टैक्सी परमिट की अनुबन्धित वाहन की सूचना जनपद हरदोई

ईकाई का नाम	वाहन मालिक का नाम	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	प्रथम अनुबन्ध की तिथि	दर	इकाई प्रभारी
जनपद स्तर	विकास त्रिवेदी ग्राम व पोस्ट मंसूर नगर हरदोई	UP30T8615	Bolero	14.02.14	30,000.00	डा0 विजय कुमार उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद स्तर	अश्वनी कुमार तिवारी फरीदपुर, लखनऊ	UP32FN7351	Bolero	31.03.16	29,400.00	डा0 प्रमिला निरंजन, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी
अहिरोरी	दुर्गेश कुमार कुर्रिया, हरदोई	UP30AB9377	Bolero	22.01.16	29,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
बावन	संगीता द्विवेदी, 77, आलूथोक, हरदोई	UP30T7497	Bolero	28.02.15	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
बेहन्दर	आलोक शुक्ला आवास विकास कालोनी, उन्नाव	UP35T8141	Bolero	30.03.16	29,500.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
भरावन	सुरेन्द्र कुमार, नायक नगर, लखनऊ	UP32EN3755	Bolero	30.11.13	29,990.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
बिलग्राम	जितेन्द्र कुमार, बिलग्राम, हरदोई	UP30T8665	Bolero	17.02.14	29,500.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
हरियावॉ	विपिन कुमार त्रिवेदी, मंसूरनगर, हरदोई	UP30N7636	Bolero	22.10.13	29,990.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
हरपालपुर	अमरपाल, ग्राम बण्डारी, हरदोई	UP30T8466	ECCO	28.11.13	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
कछौना	भास्कर सिंह, कछौना, हरदोई	UP30T8527	Bolero	28.11.13	29,990.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
माधोगंज	प्रदीप कुमार बिलग्राम, हरदोई	UP30AT1265	Bolero	22.01.16	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
मल्लावॉ	रेनू वर्मा, कुरसठ, हरदोई	UP30AT0304	Bolero	22.01.16	29,900.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
पिहानी	रामरक्ष पाल, बखरिया, हरदोई	UP30T8554	Bolero	13.02.14	29,500.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
साण्डी	सचिव कुमार भीखापुर, साण्डी, हरदोई	UP30V5899	Bolero	22.10.13	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
सण्डीला	नीलम शुक्ला, 08 राजकीय कालोनी, उन्नाव	UP35T8140	Bolero	30.03.16	29,500.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
सुरसा	रंजन सिह कुडी, शाहाबाद, हरदोई	UP30Z6556	Bolero	22.01.16	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
टड़ियावॉ	संगीता द्विवेदी, 77, आलूथोक, हरदोई	UP30T6646	Bolero	28.02.15	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0
टोडरपुर	तेजपाल सिंह, अब्दुल्लानगर, हरदोई	UP30T8566	Bolero	28.11.13	30,000.00	अधी0 / प्रा0चि0अ0

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

(01)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DZ 278884

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,** जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष **श्री विकास त्रिवेदी पुत्र श्री शम्भुनाथ त्रिवेदी, ग्राम व पोस्ट मंसूरनगर,** हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 24/4/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** जनपद स्तर मे **''''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन''** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित **बुलेरो एसएलएक्स UP30T8615** की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

विकास त्रिवेदी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

...कार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0– 36,000 .... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-- **हरदोई**

दिनांक:

हस्ताक्षर........मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम पक्ष)
हरदोई

हस्ताक्षर........विकास द्विवेदी (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

2. अमित मिश्रा ....

छत्रपाल वर्मा
वित्त एवं लेखाधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु०चि०अ० हरदोई

(02)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 FEB 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DZ 278365

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष अश्वनी कुमार तिवारी, फरीदपुर, बरवन.......

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 22/2/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01-04-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** जनपद स्तर मे ''''राष्ट्रीय **स्वास्थ्य मिषन''** के अर्न्तगत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP32FN7331 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

Attested

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अधि0 हरदोई

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

[illegible] वाहन नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से [illegible]पित करने का अधिकार होगा।

[illegible] पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की [illegible] जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, [illegible] पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी [illegible] प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

[illegible] द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे [illegible] इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। [illegible]दाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का [illegible]लाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष वह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–...२९,५००........ **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

हस्ताक्षर......मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई......(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर......अश्वनी तिवारी......(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

2. विनोद कुमार पान्डेय ग्रा०व पोस्ट मलोलापुर तहसील व जिला हरदोई
मो० नं० 8853779661

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु०चि०अ० हरदोई

(03)

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 FEB 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 278113

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष श्री दुर्गेश कुमार पुत्र रज्जन लाल अन्ना बेहटा खेड़ा – पो०– कोरिया ब्लाक बावन – हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण**" हेतु मे आज दिनांक 24/4/18 को जनपद हरदोई ने सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** अहिरोरी मे ""**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**" के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30AB9377 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

दुर्गेश

जयपाल वर्मा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

...कार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2 द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि **रू0–**29,000/-...... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

हस्ताक्षर.......मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई.......(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.......दुर्गेश.......(द्वितीय पक्ष)

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

गवाह

1. ....

2. ....अजितपाल.......

छत्रपाल वर्मा
वित्त एवं लेखाधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

(04)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 293450

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष संगीता द्विवेदी, 77 आलू थोक, हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण"** हेतु मे आज दिनांक 27.4.18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01–04–17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** बावन मे **""राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन"** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30T7497 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

छत्रपाल वर्मा

... प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से ... आरोपित करने का अधिकार होगा।

... पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की ... जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, ... भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी ... प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

... द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे ... इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। ...दाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का ...लाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–31,000/-...... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर...(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर......संगीता.......................................(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

(उदयभान जायसवाल)
ARO PMG वाहन

2. ---अनिल कुमार द्विवेदी---

339 ऊँचाथोक हरदोई मो0 945....

Gayatri Tiwari
(B.P.M.)

(05)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय
9 FEB 2018
हरदोई

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 2936

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष

आलोक शुक्ला, आवास विकास कालोनी, उन्नाव

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण" हेतु मे आज दिनांक 22/4/17 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-5-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** बेहन्दर में **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन"** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बोलेरो UP35T 8141 को इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एव लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

Attested

(iii) वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एव फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

(iv) वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

आलोक

अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–......29500/-...... का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी अर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांकः

हस्ताक्षर.............................(प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

हस्ताक्षर......आलोक शुक्ला ....(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

2. ....

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

(02)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

- 2 FEB 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DV 731659

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष सुरेन्द्र कुमार, नायक नगर, लखनऊ

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा ''**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण**'' हेतु मे आज दिनांक 1-4-17 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** भरावन मे ''''**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**'' के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP32EN3755 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0

छत्रपाल वर्मा लेखाधिकारी

सुरेन्द्र कुमार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0 25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0-4219-75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि **रू0-** ...29,990/-... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान- **हरदोई**

दिनांकः

हस्ताक्षर.................(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर...सुरेन्द्र कुमार...(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. मनोज तिवारी (B.P.M) CHC अटवन

2. ....

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

(07)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

15 FEB 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 245651

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार — मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष — जितेन्द्र कुमार, बिलग्राम, हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 24/4/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** बिलग्राम मे **'''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन''** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बोलेरो UP30T 8665 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

छत्रपाल वर्मा ... अधिकारी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

...कार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि **रू0–**......29,500/-...... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबेन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

Attested

स्थान– **हरदोई**

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

दिनांक:

हस्ताक्षर.......मुख्य चिकित्सा अधिकारी......(प्रथम पक्ष)
हरदोई

हस्ताक्षर.......जितेन्द्र कुमार.......(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. अनिरुद्ध कुमार मिश्र (BPM) ....

2. अजित मिश्र ....

छत्रपाल वर्मा
... एवं लेखाधिकारी
... अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DZ 278883

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष श्री विपिन कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री शम्भुनाथ त्रिवेदी, ग्राम व पोस्ट मंसूरनगर, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण" हेतु मे आज दिनांक 22/2/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** हरियावां मे ""राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित **बुलेरो UP30N7636** की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा

Samar Sharma
BPM
Block programme manager.

...पाल वर्मा
...अधिकारी

पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0 29,990/-...... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

हस्ताक्षर......मुख्य चिकित्सा अधिकारी......(प्रथम पक्ष)
हरदोई

हस्ताक्षर......बिपिन कुमार......(द्वितीय पक्ष)

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु०चि०अ० हरदोई

गवाह

1. ....

2. ....अजित मिश्रा....................................

छत्रपाल वर्मा
वित्त एवं लेखाधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

Samar Sharma
BPM
Block Programe manager

(09)

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 278160

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,** जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष अमरपाल सिंह, ग्राम बाण्डारी, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 22/01/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01/04/2017 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** हरपालपुर मे **''''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन''** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित UP30T8466 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

अमर पाल सिंह

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0 25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–.....30,000........ **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

Attest दिनांकः

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर.......मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई.......(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर......अमर पाल सिंह.......(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. .....विपिन शुक्ला.....

2. --

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DP 932531

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,** जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष भास्कर सिंह, कछौना हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 22/5/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01/04/2017 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1: द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** कछौना मे **'''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन''** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30 T 8527 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्रांथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

पाल वर्मा Bhaskar Singh मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0 25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–29,900....... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

हस्ताक्षर Bhaskar Singh .... (प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर .... (द्वितीय पक्ष)

Vinod Kumar Gupta HS
CHC Kachhona

गवाह

1. ....

2. ....

छत्रपाल वर्मा

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

15 FEB 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DZ 245662

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष प्रदीप कुमार बिलग्राम, हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण"** हेतु मे आज दिनांक 24/4/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक .... से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** माधौगंज मे **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन"** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30AT1265 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

छत्रपाल वर्मा लेखाधिकारी BPM जीतू मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0 25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–30,000/-......... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर...(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर...(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

2. MOHD. VAQEEL (BCPM) Mewdbogary

ASHISH VERMA
BPM

(12)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

25 JAN 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 802738

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,** जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष रेनू वर्मा पत्नी अवधेश कुमार ....

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण"** हेतु मे आज दिनांक 24/4/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-5-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** मल्लावां मे **""राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन"** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30AT0304 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु०चि०अ० हरदोई

Himanshu Pandey (BPM)
CHC Mallawan

रेनू वर्मा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरुप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि **रू0–** 29,900/- **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांकः

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर.........................(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.........................(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. Himanshu Pandey BPM

2. ....

छत्रपाल वर्मा
वित्त एवं लेखाधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी
हरदोई।

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 FEB 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DZ 278573

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष रामरक्षपाल सिंह, बावनिया, हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 2/4/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** पिहानी मे **''''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन''** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP 31 T 8554 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

रामरक्षपाल

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

...रूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से ...दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0 25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–...29500/-... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

हस्ताक्षर.......................................(प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

हस्ताक्षर.......................................(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

2. ....

छत्रपाल वर्मा

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 JAN 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 316838

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,** जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष ....

....

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक 27.1.18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक ..... से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** .... मे **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन''** के अर्न्तगत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित .... की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा। UP30V5899

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम **रू0 25,000.00** की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–29,501/– **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर...(प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

हस्ताक्षर...(द्वितीय पक्ष)

सचिन कुमार

गवाह

1. --

2. --

15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय 9 FEB 2018

Z 29362

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई**

द्वितीयपक्ष नीलम शुक्ला, 08, राजकीय कालोनी, उन्नाव

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक** पर्यवेक्षण हेतु मे आज दिनांक 22/4/17 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1-4-17 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** सण्डीला **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन"** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बोलेरो UP35T 8140 की दर अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एव लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई

नीलम शुक्ला

अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0-4219-75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0-......29500/-...... का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-- **हरदोई**

दिनांकः

हस्ताक्षर.................................(प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

हस्ताक्षर.....नीलम शुक्ला .....(द्वितीय पक्ष)

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

1. ....

2. ....

16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय 9 FEB 2018 हरदोई

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 293622

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष ....रंजन सिंह, कुडी, शाहाबाद, हरदोई............

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण''** हेतु मे आज दिनांक ..22/2/17.. को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक ..1-4-17.. से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** ..सुरसा.. मे **'''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन''** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित ..बुलेरो UP30Z 6556.. की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

...पाल वर्मा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

रंजन सिंह

...कार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि **रू0–**31,000/–...... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

Attested

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर.................................(प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

हस्ताक्षर.................................(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. ....

2. अजित मिश्रा ....

छत्रपाल वर्मा
वित्त एवं लेखाधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Santosh Kr. Singh
BPM, Sursa CHC
Hardoi.

(17)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 293449

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष संगीता द्विवेदी, ..., आलूथोक, हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण"** हेतु मे आज दिनांक 24/1/18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 15-1-18 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** ... मे ""**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन"** के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30T6646 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहियेः–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के

Attested

छत्रपाल वर्मा ... लेखाधिकारी ... संगीता ... मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रू0–30,000/–...... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

Attested

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
कार्यालय मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर..............................(प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई

हस्ताक्षर.......संगीता.......................(द्वितीय पक्ष)

BPM

गवाह

1. ....

2. सर्वेन्द्र कुमार तिवारी आलू थोक हरदोई मो0– 9451530931

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DZ 293210

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी, जनपद–हरदोई

द्वितीयपक्ष तेजपाल सिंह पुत्र रामबिलास सिंह ग्राम जरौना पो० अब्दुल्लानगर

यह अनुवन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण**" हेतु मे आज दिनांक 14.4.18 को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1.4.18 से 31 मार्च 2018 अथवा अग्रिम आदेश अथवा अगली निविदा जो भी पहले हो तक की होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के **जिला मुख्यालय / सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र** टोडरपुर मे "**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**" के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलैरो UP30T8566 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:–

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय

स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कार्या० मु०चि०अ० हरदोई

छत्रपाल वर्मा जिला लेखाधिकारी कार्या० मुख्य चिकित्सा अधिकारी

तेजपाल सिंह

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Ajit Bajpai

... वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के ... नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से ... अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

... पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0 25,000.00 की ... राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, ... किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी ... पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

... द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–4219–75, दिनॉक 22.12.14 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि **रू0–**30,000/–....... **का मासिक भुगतान** किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगें। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नही किया जाता है, भुगतान नही किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति मे सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान– **हरदोई**

दिनांक:

Attested

हस्ताक्षर.............................(प्रथम पक्ष)

... स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
... मु0चि0अ0 हरदोई

हस्ताक्षर.....तेजपालसिंह.....(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. .....CHC .....

2. --

Ajeet Bajpai
BPM